भारत तथा बंगलादेश के बीच व्यापार करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार

आपसी सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिये अपने दोनों देशों की जनता के आग्रह को ध्यान में रखते हुए,

समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार तथा आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा रखते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुई

अनुच्छेद -I

दोनों सरकारें, अपनी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सन्दर्भ में एक दूसरे की आवश्यकता और अपेक्षाओं को स्वीकार करते हुए समानता एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार के संवर्धन, सुगमीकरण, विस्तार तथा विविधीकरण हेतु आर्थिक और तकनीकी सहयोग सहित सभी संभावनाओं का पता लगाने का वचन देती हैं ।

अनुच्छेद -II

दोनों सरकारें, विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों के पारस्परिक लाभ के लिये विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के अनुसरण में ऐसे समुचित उपाय करने के लिये सहमत हुई हैं, जहाँ तक की ऐवे उपाय उनके अपने-अपने वर्तमान तथा भावी विकास, वित्तीय तथा व्यापार सुगमीकरण के सुसंगत हों ।

अनुच्छेद -III

दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हुई हैं कि उनके आपसी व्यापार आदान-प्रदानों के विस्तार से उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा । इसके लिये वे, विशेष रूप से यथा सहमत विशिष्ट उत्पादों के संबंध में अपने आपसी व्यापार को बढ़ाने तथा उसका विविधीकरण करने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच विषमताओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षाओं के दौरान समुचित तथा विशेष उपाय करने के लिये सहमत हुई हैं ।

अनुच्छेद - IV

दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित सभी भुगतान तथा प्रभार प्रत्येक देश में समय-समय पर प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में जारी रहेंगे ।

अनुच्छेद - V

भारत अथवा बंगलादेश में उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं तथा माल का आयात तथा निर्यात करने की अनुमति, यथा स्थिति, दोनों में से प्रत्येक देश में समय-समय पर प्रवृत्त आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विधियों, विनियमों तथा क्रियाविधियों के अनुसार दोनों देशों के बीच विषमताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाएगी ।

अनुच्छेद - VI

प्रत्येक सरकार दूसरी सरकार के वाणिज्य को जो व्यवहार प्रदान करेंगी वह किसी तीसरे देश के वाणिज्य को प्रदत्त व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा ।

अनुच्छेद - VII

अनुच्छेद- VI के उपबंध निम्नांकित की मंजूरी अथवा उसे जारी रखने में बाधा नहीं डालेंगेः-

(क) पृथक करार (करारों) के अनुसार सीमा व्यापार को सुकर बनाने के लिये दोनों सरकारों में से किसी भी सरकार द्वारा दिये गये अथवा दिये जाने वाले विशेषाधिकार;

(ख) वे लाभ तथा विशेषाधिकार जो दोनों में से किसी सरकार द्वारा उनके अपने किसी पड़ोसी देशों में से किसी देश को दिये गए हों या दिये जाएं;

(ग) किसी सीमा शुल्क संघ, मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा इसी प्रकार की व्यवस्थाओं, जो दोनों में से किसी सरकार ने की हों या भविष्य में उसके द्वारा निष्पादित की जाएं, से उत्पन्न लाभ;

(घ) ऐसे लाभ अथवा अधिमान जो विकासशील देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने की किसी ऐसी योजना के अधीन प्रदान किये गये हों, जिसमें सभी विकासशील देश भाग ले सकते हों और जिसमें दोनों सरकारों में से कोई भी सरकार पक्षकार है अथवा बन सकती हैं ।

अनुच्छेद - VIII

दोनों सरकारें, दोनों देशों के बीच वाणिज्य के लिये अपने जलमार्गों, रेल-मार्गों तथा सड़क मार्गों के उपयोग के लिये तथा एक देश में दूसरे के राज्यक्षेत्र से होकर दोनों स्थानों के बीच माल के पारगमन के लिये आपसी लाभकारी व्यवस्था करने के लिये सहमत हुई हैं ।

अनुच्छेद - IX

प्रत्येक सरकार दूसरे देश के व्यापारी जहाजों को जब वे उसके पत्तनों में प्रवेश करें, माल उतारें तथा ठहरें, वहीं परममित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करेगी जो उनकी अपनी विधियों, नियमों तथा विनियमों द्वारा किसी तीसरे देश के ध्वज वाले जहाजों को प्रदान किया जाता है ।

दोनों सरकारें, शिपर की तरजीह के आधार पर, इस करार के अन्तर्गत आयातित या निर्यातित नौवहन कार्गों के लिये संबंधित दोनों देशों के नौवहन संगठनों के स्वामित्व वाले/उनके द्वारा किराये पर लिये गये जहाजों का प्रतियोगी भाड़ा दरों पर अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग करने के लिये सहमत हुई हैं ।

अनुच्छेद - X

दोनों सरकारें, विदेशी मुद्रा तथा विदेश व्यापार से संबंधित मामलों के बारे मे दोनों में से प्रत्येक देश की विधियों, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन तथा प्रवंचना को रोकने के लिये एक दूसरे के साथ प्रभावी रूप से सहयोग करने के लिए सहमत हुई हैं ।

अनुच्छेद - XI

दोनों सरकारें, अपनी अपनी विधियों तथा विनियमों के अध्यधीन, व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ लगाने तथा संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित व्यवसाय तथा व्यापार संबंधी प्रतिनिधिमंडलों के दोनों के लिये समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिये सहमत हुई हैं ।

अनुच्छेद - XII

इस करार के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिये दोनों सरकारें एक वर्ष में कम से कम एक बार अथवा जब कभी आवश्यक होगा, उससे पूर्व एक दूसरे से परामर्श करेंगी तथा दोनों देशों के बीच विशेष विषमताओं के साथ इस करार के कार्यचालन की समीक्षा करेंगी ।

अनुच्छेद - XIII

यह संशोधित करार 1 अप्रैल, 2006 को प्रवृत्त होगा । यह तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा। यथा सहमत संशोधनों के अध्यधीन इस करार को आपसी सहमति से तीन वर्षों की और अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है ।

नई दिल्ली में दिनांक 21 मार्च, 2006 को हिन्दी, बंगला तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न जिसके, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं । मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

(कमल नाथ)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
भारत गणराज्य की सरकार

(एम. मोर्शेद खान)
विदेश मंत्री
बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार